

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,  
सातवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं 5(01) 2019-20-क0सं0एवं भाषा/ 1607-1708

दिनांक: 8/8/19

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषय: हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।  
महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय-समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। अतः आवश्यक हो गया है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2019 को "हिन्दी दिवस" के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिये परिचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दिनांक: 8/8/19

फा.सं 5(01) 2019-20-क0सं0एवं भाषा/ 1607-1708  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली ।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली-02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवाला, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली ।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली ।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में।

(संजय जैन)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

विजय कुमार देव

VIJAY KUMAR DEV, I.A.S



संदेश

मुख्य सचिव  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

Chief Secretary  
Government of NCT of Delhi

## “हिन्दी दिवस”


14 सितम्बर, 2019

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की सभी भाषायें हमारे लिये आदरणीय हैं लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिये राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने और इसका अधिक से अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले ‘हिन्दी दिवस’ का विशेष महत्व है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है। परन्तु सरकार का यह प्रयास प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग के बिना सार्थक नहीं हो सकेगा। अतः आवश्यक है कि वे सरकार से अपना संपर्क राजभाषा के माध्यम से स्थापित करें।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकारी कामकाज हिन्दी में किए जाने की दिशा में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है, परन्तु यह प्रगति यथेष्ट नहीं है। अतः हमें इसे और आगे बढ़ाने के निरन्तर भरसक प्रयास करने होंगे।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने के लिये प्रेरित करें। आईए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर – राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनों रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निश्चय करना चाहिए कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

  
(विजय कुमार देव)  
मुख्य सचिव, दिल्ली